पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2021 ई0 (चैत्र 06, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–13

### विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें


| विषय | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्दा |
|---|---|---|
| | | रु0 |
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ... ... ... | – | 3075 |
| भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ... | 173–192 | 1500 |
| भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ... | 141–149 | 1500 |
| भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ... ... | – | 975 |
| भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | – | 975 |
| भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ... ... | – | 975 |
| भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ... ... | – | 975 |
| भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ... ... ... | – | 975 |
| भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ... ... | – | 975 |
| भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ... | 123–148 | 975 |
| स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ... | – | 1425 |

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## लोक निर्माण अनुभाग–1

### कार्यालय ज्ञाप

22 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 187/III(1)/2021–100(अधि0)2009, TC-1–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री उमेश चन्द्र बहुगुणा को नियमित चयनोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल), वेतनमान रू0 67,700–2,06,700 (सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल–11) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक रूप से तथा उनके आसन्न कनिष्ठ श्री आनंद सिंह पंवार की अधिशासी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि 08 मई, 2020 से प्राकल्पिक (नोशनल) रूप से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री उमेश चन्द्र बहुगुणा को अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री उमेश चन्द्र बहुगुणा की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,
प्रमुख सचिव।

---

## राजस्व अनुभाग–3

### अधिसूचना

11 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 43/XVIII(3)/2021–03(08)/2016–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या–911/राजस्व/2002, दिनांक 18 सितम्बर, 2002 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी :–

### अनुसूची

| जिला | तहसील | परगना | ग्राम का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| देहरादून | ऋषिकेश | परवादून | खडकमाफ |

आज्ञा से,

सुशील कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of the Article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 43/XVIII(3)/2021-03(08)/2016**, dated February 11, 2021 for general information.

NOTIFICATION

*February 11, 2021*

**No. 43/XVIII(3)/2021-03(08)/2016**--In exercise of the power conferred under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in the Village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Notification No. 911/Rajasva/ 2002, dated 18 September, 2002 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette :--

**Schedule**

| District | Tehsil | Pargana | Name of Village |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dehradun | Rishikesh | Parwadoon | Khadakmaaf |

By Order,

SUSHIL KUMAR,

*Secretary.*

---

## ग्रामीण निर्माण अनुभाग

### विज्ञप्ति/पदोन्नति

16 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 134/XII-3/2021/93(25)/2004—श्री मनीष कुमार मित्तल, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), ग्रामीण निर्माण विभाग, सम्प्रति उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू0आर0आर0डी0ए0) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से वेतनमान 123100--215900 (लेबल—13) में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधीक्षण अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

3. उक्त पदोन्नति मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 682/2019, उत्तराखण्ड राज्य बनाम राकेश कुमार तिलारा एवं अन्य, एस0एल0पी0 926/2019, उत्तराखण्ड राज्य बनाम रामजीलाल एवं अन्य एवं मा0 उच्चतम न्यायालय से मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को प्रत्यावर्तित रिट याचिका सं0 75/(एस0/बी0)/2004 राकेश कुमार तिलारा बनाम राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन रहेगी।

4. श्री मनीष कुमार मित्तल द्वारा ग्रामीण निर्माण विभाग में योगदान दिये जाने के उपरान्त उनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

बृजेश कुमार सन्त,

सचिव (प्र0)।

---

## माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

05 मार्च, 2021 ई0

प्रेषक, संख्या 125/XXIV-B-3/21/02(77)2012

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2–निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक अर्थ–1/13330/5क/01(23)/2020–21, दिनांक 23, नवम्बर, 2020 के सन्दर्भ एवं शासनादेश संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांक 19 मार्च, 2013, शासनादेश संख्याः 749/XXIV-3/13/02(77)2012 दिनांक 07 मई, 2013, एवं शासनादेश संख्याः 1924/XXIV-3/13/02(77)2012 दिनांक 24 दिसम्बर, 2013, के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य में बालिका शिक्षा को पूर्णतः प्रोत्साहन दिये जाने के उपरान्त भी कई क्षेत्रों में बालिकाओं को विद्यालय न भेजने की समस्या विद्यमान होने एवं वर्तमान में भी राज्य मे महिला साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से अपेक्षाकृत कम होने व बालिकाओं का माध्यमिक कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली अध्ययनरत् बालिकाओं को मुफ्त साइकिल दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2–उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के अनुक्रम में वर्तमान में राज्य के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली अध्ययनरत् समस्त वर्ग की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल की सुविधा प्रदान की जा रही है।

3–इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कक्षा–8 उत्तीर्ण कर कक्षा–9 में प्रवेश पाने वाली समस्त वर्ग की बालिकाओं के लिए संगत शासनादेश संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांक 19 मार्च, 2013, शासनादेश संख्याः 749/XXIV-3/13/02(77)2012 दिनांक 07 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्याः 1924/XXIV-3/13/02(77)2012 दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के प्राविधानों के अधीन निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 'मुफ्त साइकिल योजना'' लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त योजना से सम्बन्धित मुख्य शर्तें/प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं :–

(1) बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (मुफ्त साइकिल) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त वर्ग की बालिकाओं को कक्षा–8 में उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा–9 में प्रवेश के उपरान्त यह सुविधा अनुमन्य होगी। उक्त योजना के वर्तमान स्वरूप में क्रियान्वित किये जाने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की कक्षा–9 में प्रवेश

लेने वाली बालिकाओं को योजनान्तर्गत धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जायेगा। परन्तु इस हेतु मैदानी क्षेत्रों की बालिकाओं द्वारा साइकिल क्रय किया जाना होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओं द्वारा साइकिल क्रय या पूर्ववत् रू0 2850/– की धनराशि का 04 वर्षीय एफ0डी0 पूर्व में गठित जनपदीय समिति द्वारा निर्धारित बैंक/डाकघर में किया जाना होगा। मैंदानी क्षेत्रों में मुफ्त साइकिल एवं पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओं को मुफ्त साइकिल अथवा सावधि जमा धनराशि दोनों में से एक लाभ लेने का विकल्प रहेगा। यदि पर्वतीय क्षेत्रों की बालिकाओं द्वारा साइकिल क्रय किया जाना हो तो उन्हें भी डी0बी0टी0 के माध्यम से रु0 2850.00 की धनराशि प्रदान की जायेगी। अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद यदि किसी छात्रा द्वारा पढ़ाई छोड़ दी जाती है, ऐसी दशा में मुफ्त साइकिल की लागत की धनराशि/सावधि जमा धनराशि विभाग को वापस कर शासकीय कोष में जमा कर दी जायेगी। विभाग द्वारा छात्राओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा योजना का लाभ प्राप्त करने के उपरान्त शालात्याग करने की दशा में उक्त धनराशि की वापसी सुनिश्चित करने के व्यवस्था की जायेगी।

(2) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक छात्रा का आधार कार्ड आवश्यक होगा तथा आधार कार्ड बैंक एकाउन्ट नम्बर से लिंक होना आवश्यक होगा। नगद डी0बी0टी0 अन्तरण हेतु ट्रेजरी रूट की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(3) समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मैदानी क्षेत्र की छात्राओं के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र की बालिकाओं को भी एफ0डी0/सावधि जमा धनराशि या साइकिल क्रय किये जाने की स्थिति में डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रदान की जाने वाली धनराशि के सापेक्ष तीन माह के भीतर छात्राओं से प्रमाण–पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

4– इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्याः 1682/XXIV-3/12/02(77)2012 दिनांक 19 मार्च, 2013, शासनादेश संख्याः 749/XXIV-3/13/02(77)2012 दिनांक 07 मई, 2013 एंव शासनादेश संख्याः 1924/XXIV-3/13/02(77)2012 दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

5–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 420(म0)/XXVII(3)2020–21 दिनांक 03 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

आज्ञा से,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

---

## गृह अनुभाग–4

### अधिसूचना

19 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 231/XX–4/2021–2(4)/2013–राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

## उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

### भाग–1 (सामान्य)

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

1. (I) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 है।

(II) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

**नियम 3(ग) का संशोधन**

2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–3(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा। नियम 3(ट) अतिरिक्त रूप से जोड़ा जायेगा अर्थात :–

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 3(ग) 'आयोग' से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है। | 3(ग) आयोग' से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है अथवा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्राधिकृत संस्था अभिप्रेत है।<br>(II) उपखण्ड(ञ) के पश्चात निम्न खण्ड अंतः स्थापित कर दिया जायेगा।<br>3(ट) "विभागाध्यक्ष" से पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिप्रेत है। |

**नियम 6 का संशोधन**

3. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। | 6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। |

**नियम 8 का संशोधन**

**4. मूल नियमावली के नियम 8 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 8(2)अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हता:–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में (भौतिक, रसायन एवं गणित विषयों में) स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि।<br>केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा। | 8(2) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक अर्हता:– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि।<br>केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा।<br>भूतपूर्व सैनिकों के लिये शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) या इसके समकक्ष होगी। |

**नियम 10 का संशोधन**

**5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम–10 के उप नियम (1) तथा उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 10(1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। | 10(1) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह–ग के सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, (समय–समय पर यथासंशोधित) निहित प्रावधान/शर्तों के अनुसार किये जायेंगे। |
| 10(3) सीधी भर्ती हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी पात्र होगें। | 10(3) सीधी भर्ती हेतु पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। |

**नियम 11 का संशोधन**

**6. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम–11 के स्थान पर स्तम्भ–2 में नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 1 सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो:– | 11 सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की हो:– |

| क्रं0 सं0 | पद का नाम | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| 1 | अग्निशामक (फायर मैन) | 18 वर्ष | 22 वर्ष |
| 2 | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी | 21 वर्ष | 28 वर्ष |

| क्रं0 सं0 | पद का नाम | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| 1 | अग्निशामक (फायर मैन) (पुरूष) | 18 वर्ष | 22 वर्ष |
| 2 | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरूष) | 21 वर्ष | 28 वर्ष |

| क्रं0 सं0 | पद का नाम | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|---|---|
| 1 | अग्निशामक फायर (वुमैन) | 18 वर्ष | 25 वर्ष |
| 2 | महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी | 21 वर्ष | 28 वर्ष |

**नियम 13 का संशोधन**

7. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम–13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 13 पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा,<br>परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी। | 13 ऐसा पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगें,<br>परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी। |

**नियम 15 का संशोधन**

8. **मूल नियमावली में विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 15 रिक्तियों की अवधारणा के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। | 15 नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा। |

**नियम 16 का संशोधन**

9. **मूल नियमावली में नियम 16 में–**

**(II) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख), (ग), (घ), (ड.), के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गए खण्ड रख दिये जायेगें अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **16 (तीन) (ख) बुलावा पत्र**<br>निर्धारित तिथि तक भर्ती केन्द्रों पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन्हें शारिरिक मानक नाप–जोख हेतु बुलाया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम एम सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो, अभ्यर्थी हेल्पलाईन से सम्पर्क कर द्वितीय बुलावा पत्र की कापी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित हो, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा।<br>शारीरिक मानक नाप–जोख अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क) के अनुसार एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क) के अनुसार होंगे। | **16 (तीन) (ख) बुलावा पत्र**<br>निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारिरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा।<br>शारीरिक मानक नाप–जोख पुरूष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट 2(ख)(1) एवं पुरूष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क), महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(ख)(1) के अनुसार होंगे। |
| **16(तीन) (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा**<br>शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट–2(ख) एवं परिशिष्ट–3(ख) में विहित की गई है। | **16(तीन) (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा**<br>शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट–2(ख) एवं परिशिष्ट–3(ख) में विहित की गई है तथा महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट 2(ख)(1) एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट 3(ख)(1) में विहित की गई है। महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जनपद वार प्राप्तांक युक्त यूची पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात् सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली–2016 के अन्य समस्त नियम यथावत रहेंगे। |
| **16 (तीन) (घ) लिखित परीक्षा**<br>शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी कमशः **परिशिष्ट–2(ग) एवं परिशिष्ट–3 (ग)** में दी गई है। | **16(तीन) (घ) लिखित परीक्षा**<br>शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जायेगी। लिखित परीक्षा प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कमशः **परिशिष्ट– 2(ग) एवं परिशिष्ट–3(ग)** में दी गई है। |
| **16(तीन) (ड.) अन्तिम श्रेष्ठता सूची**<br>आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित | **16(तीन) (ड.) अन्तिम श्रेष्ठता सूची**<br>विभागीय चयन समिति द्वारा नियम 6 के अनुसार अनुसूचित |

जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यथियों का विद्यमान नियमों के अर्न्तगत सम्यक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता कम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। अन्तिम श्रेष्ठता सूची को वैबसाईट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता कम में प्रकाशित किया जायेगा। ायोग द्वारा जनपदवार एवं श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। आयोग अपने सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गयी अभ्यार्थियों के प्राप्तांक की सूची उत्तर पत्रकों के साथ एक सील बन्द आवरण में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

जाति, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यथियों का विद्यमान आरक्षण नियमों के अर्न्तगत सम्यक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा अग्निशामक की शारीरिक दक्षता अंक और लिखित परीक्षा के जोड़कर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता कम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, यदि लिखित परीक्षा में भी समान अंक है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी।

सीधी भर्ती के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) की लिखित परीक्षा आयोग द्वारा सम्पादित कराकर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा का परिणाम विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार श्रेष्ठता कम में सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा।

आयोग द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। आयोग अपने सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गयी अभ्यार्थियों के प्राप्तांक की सूची उत्तर पत्रकों के साथ एक सील बन्द आवरण में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

**(II) उप खण्ड (छः) के पश्चात् निम्नवत उपखण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात**

**16(तीन) (ज) शपथ पत्र**

अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक यदि उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा विभाग छोड़ा जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एंव प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये वेतन की धनराशि का भुगतान उन्हें अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को करना होगा।

**16(तीन) (झ) पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण**

देहरादून में पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल,कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग।

नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में कमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(III) **खण्ड तीन के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात**

– **16(चार ) परीक्षा शुल्क** तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा समूह "ग" की अन्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क के अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जायेगा।

**16(पॉच) सीधी भर्ती प्रकिया**

– 1– आयोग द्वारा भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

2–शारीरिक नाप–जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय के प्रत्येक आईटम में अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराई जायेगी।

3–भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा अभ्यर्थियों की सूचियां/तालिकायें पहले से ही तैयार कर ली जायेंगी एंव शीट पर 20 अभ्यर्थियों के ही नाम लिखे जायेंगे। प्रत्येक अंक तालिका में सभी अभ्यर्थियों को अंक देने के उपरान्त परीक्षक द्वारा उस पर अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसे सील कर लिफाफे के बाहर अभ्यर्थियों के अनुकमांक तथा परीक्षा के आईटमों का नाम अंकित कर चयन समिति के अध्यक्ष को दे दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की अंक तालिका में कटिंग,ओवर राईटिंग न हो इसका विशेष ध्यान रखना परीक्षकों के लिये आवश्यक है, यदि सावधानी रखने के उपरान्त भी कहीं कटिंग हो जाती है तो इस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर चयन समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करायेंगे। अंक तालिकाओं की सभी प्रविष्टियां पेन से लिखी जायेंगी तथा पेंसिल से लिखना वर्जित होगा। प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् उनका परीक्षा परिणाम सील बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा जायेगा।

4–अनुत्तीर्ण घोषित किये गये सभी अभ्यर्थियों को अंक तालिकायें प्रदान की जायेंगी एंव इसकी प्रति सुसंगत अभिलेखों में दर्ज करा ली जायेंगी। अंक तालिकाओं की स्लिप निर्धारित प्रारूप में डुप्लिकेट में बनाई जायेंगी तथा प्रत्येक आइटम के अंक उस पर अंकित किये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस आइटम में फेल हो जाता है उसे उसकी अंक तालिका में अंकित कर एक प्रति उसी समय अभ्यर्थी को दे दी जायेगी तथा दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा लिये जायेंगे साथ ही इन सभी परिणामों को परीक्षा केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य की सूचना हेतु चस्पा कर दिया जायेगा।

5–यदि किसी दिन किसी आइटम की परीक्षा किसी कारणवश अधूरी रहती है तो उससे सम्बन्धित तालिका सीलबन्द कवर में क्वार्टर गार्द की सेफ में सुरक्षित रखी जायेगी। दूसरे दिन परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही उसे सेफ से निकालकर अग्रिम परीक्षा ली जायेगी।

**नियम 17 का संशोधन**

10. **मूल नियमावली के नियम–17 के उपनियम (2) के खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नवत खण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंग, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1 | स्तम्भ–2 |
|---|---|
| – | **(च) काडर विभाजन**<br>पदोन्नति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित हो तथा वह वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त हों।<br>**(छ) पदोन्नति हेतु सेवा अभिलेख सेवाभिलेख–**<br>1–विगत 05 वर्षो के दौरान सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो।<br>2–विगत 05 वर्षो में प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो।<br>3–विगत तीन वर्षो में दीर्घ दण्ड न मिला हो।<br>4–विगत एक वर्ष में लघु दण्ड न मिला हो।<br>परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तथा अभियोग विवेचनाधीन अथवा न्यायालय में विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही एवं अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग,पदोन्नति प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सील बन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा। |

**नियम 20 का संशोधन**

11. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| **20–प्रशिक्षण**<br>परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी। | **20–प्रशिक्षण**<br>**सीधी भर्ती हेतु आधार भूत प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त किया जायेगा :–**<br>1– अग्निशामक(फायरमैन)– 06माह।<br>2– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर)–06 माह।<br>**पदोन्नति हेतु निम्नवत प्रशिक्षण कराया जायेगा :–**<br>1– अग्निशामक(फायरमैन) पद से मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) एवम् फायर सर्विस चालक के पद पर पदोन्नति हेतु 03 माह का प्रशिक्षण। |

2– मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) एवम् फायर सर्विस चालक के पद से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु **03 माह** का प्रशिक्षण।
3– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु **05 सप्ताह** (35 दिवस) का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

**नियम 29 का संशोधन**

**12. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ–2 में नियम को रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| 29 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो। | 29 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो। |

**परिशिष्ट 1(क) का संशोधन**

**13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान परिशिष्ट 1(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | | | | स्तम्भ–2<br>एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 24(2)–वेतनमान | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | पद का नाम | वेतनमान | | क्र | पदनाम | वेतन मैट्रिक्स (रू0) | लेवल |
| | | वेतन (रू0) | ग्रेड–वेतन (रू0) | | | | |
| 1 | अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर) | 9300–34800 | 4200 | 1 | अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर) | वेतन मैट्रिक्स 47,800–1,51,100 | लेवल–8 |
| 2 | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर) | 9300–34800 | 4200 | 2 | अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड ऑफिसर) | वेतन मैट्रिक्स 44,900–1,42,400 | लेवल–7 |
| 3 | मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) | 5200–20200 | 2400 | 3 | लीडिंग फायरमैन | वेतन मैट्रिक्स 25,500–81,100 | लेवल–4 |
| 4 | फायर सर्विस चालक | 5200–20200 | 2400 | 4 | फायर सर्विस चालक | वेतन मैट्रिक्स 25,500–81,100 | लेवल–4 |
| 5 | फायरमैन (अग्निशामक) | 5200–20200 | 2000 | 5 | फायरमैन | वेतन मैट्रिक्स 21,700–69,100 | लेवल–3 |

**नये परिशिष्ट 2क (1) का अंतःस्थापन**

14. मूल नियमावली के परिशिष्ट 2(क) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

## परिशिष्ट–2क(1) {नियम–16(ख) देखें}

## महिला अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक नाप–जोप

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है :–

**ऊँचाई**

(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वग –152 से0मी0

(2) अनुसूचित जनजाति हेतु –147 से0मी0

(3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु –147 से0मी0

वजन– न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।

**नये परिशिष्ट 2ख (1) का अंतःस्थापन**

15. मूल नियमावली के परिशिष्ट 2(ख) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

## परिशिष्ट–2ख (1)(नियम 16(ग) देखें)

## महिला अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | इवेन्ट का नाम | दूरी/समय | अंक |
|---|---|---|---|
| 1 | क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णांक 20 अंक) | 16 मीटर | 10 |
| | | 20 मीटर | 12 |
| | | 24 मीटर | 14 |
| | | 28 मीटर | 16 |
| | | 32 मीटर | 20 |
| 2 | लम्बी कूद (पूर्णांक–20 अंक) | 8 फिट | 10 |
| | | 9 फिट | 12 |
| | | 10 फिट | 14 |
| | | 11 फिट | 16 |
| | | 12 फिट | 18 |
| | | 13 फिट | 20 |
| 3 | दौड़ 50 मीटर (पूर्णांक 20) | 16 सेकेण्ड | 10 |
| | | 15 सेकेण्ड | 12 |
| | | 14 सेकेण्ड | 14 |
| | | 13 सेकेण्ड | 16 |
| | | 12 सेकेण्ड | 18 |
| | | 11 सेकेण्ड | 20 |
| 4 | शटल रेस (25×4 मीटर) (पूर्णांक 20) | 29 सेकेण्ड | 10 |
| | | 28 सेकेण्ड | 14 |
| | | 27 सेकेण्ड | 18 |
| | | 26 सेकेण्ड | 20 |
| 5 | स्किपिंग (पूर्णांक 20) | 55 बार 01 मिनट | 10 |
| | | 60 बार 01 मिनट | 12 |
| | | 65 बार 01 मिनट | 14 |
| | | 70 बार 01 मिनट | 16 |
| | | 75 बार 01 मिनट | 18 |
| | | 80 बार 01 मिनट | 20 |

## परिशिष्ट –2ग{नियम 16(घ) देखें}
## फायरमैन (अग्निशामक) के पदों की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा की प्रकिया

**परिशिष्ट 2(ग) का संशोधन**

**16. मूल नियमावली के परिशिष्ट 2(ग) में–**

**(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान बिन्दु (2) तथा (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात :–**

| स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम | स्तम्भ–2<br>प्रतिस्थापित नियम |
|---|---|
| (2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिवस और समय पर आयोजित की जायेगी। | (2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और एक समय पर आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट की होगी। |
| (4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। | (4) वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक प्रदान किया जायेगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा। |

**(ii) बिन्दु (6) के पश्चात् निम्न बिन्दु अंतः स्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात–**

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुँच जाय, यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है, तो वह आयोग की हैल्प लाईन मोबाईल/लैंडलाईन टेलीफोन या वेबसाईट के माध्यम से संपर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

(8) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

(9) लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ 03 प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

**नये परिशिष्ट 3क (1) का अंतःस्थापन**

17. मूल नियमावली के परिशिष्ट 3(क) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

**परिशिष्ट–3क (1) {नियम 16(ख) देखें}**

**महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख**

| | | |
|---|---|---|
| 2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है :– | | |
| | **ऊँचाई**<br>(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग | 152 सेंटीमीटर |
| | (2) अनुसूचित जनजाति हेतु | 147 सेंटीमीटर |
| | (3) पर्वतीय क्षेत्र | 147 सेंटीमीटर |
| टिप्पणी– वजन– न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है। | | |

**नये परिशिष्ट 3ख (1) का अंतःस्थापन**

18. मूल नियमावली के परिशिष्ट 3(ख) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

**परिशिष्ट–3ख (1) {नियम 16(ग) देखें}**

**अग्निशमन द्वितीय अधिकारी महिला (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण**

महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की न्यूनतम अर्हकारी मानक निम्नवत होंगे :–

| क्र.स. | इवेन्ट का नाम | मानक |
|---|---|---|
| 1 | क्रिकेट बाल थ्रो | 20 मीटर |
| 2 | लम्बी कूद | 8 फिट |
| 3 | दौड़ व चाल | 200 मीटर (40 सेकेण्ड में) |
| 4 | स्किपिंग | 01 मिनट में 60 बार |
| 5 | शटल रेस (25×4 मीटर) | 29 सेकेण्ड में |

**परिशिष्ट 3(ग) का संशोधन**

19. मूल नियमावली के परिशिष्ट 3(ग) में–

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान बिन्दु (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात :–

**परिशिष्ट–3ग{नियम 16(घ) देखें}**

**अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा की प्रकिया:–**

<table>
<tr><th>स्तम्भ–1<br>विद्यमान नियम</th><th>स्तम्भ–2<br>प्रतिस्थापित नियम</th></tr>
<tr><td>लिखित परीक्षा के 300 पूर्णक होंगे। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective type) एवं बहुविकल्पीय (multiple choice) प्रकार की होगी। परीक्षा के विषय/अंको का विवरण निम्नवत होगी:–
<table>
<tr><th>विषय</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td>(1) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर)</td><td>100 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक) (समय 1 घण्टा)</td></tr>
<tr><td>(2) सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता–</td><td>200 अंक (समय 2 घण्टा)</td></tr>
<tr><td>क–सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण</td><td>50 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)</td></tr>
<tr><td>ख–सामान्य जागरूकता</td><td>75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)</td></tr>
<tr><td>ग–गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर)</td><td>75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)</td></tr>
</table>
</td><td>100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक एवं गलत उत्तर हेतु 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii) बिन्दु (6) के पश्चात् निम्न बिन्दु अंतः स्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात–</td></tr>
<tr><td></td><td>यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुँच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है, तो वह आयोग की हैल्प लाईन मोबाईल/लैंडलाईन टेलीफोन या वेबसाईट के माध्यम से संपर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0शीट काबंन प्रति के साथ 03 प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी। |
| | आयोग द्वारा लिखित परीक्षा सम्पादित कराकर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा का परिणाम विद्यमान आरक्षण नियमो के अनुसार तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। भर्ती प्रकिया का परिणाम आयोग द्वारा जारी किया जायेगा एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा। |

आज्ञा से,

**कृष्ण कुमार वी0के0,**
अपर सचिव।

---

## औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

### विज्ञप्ति

**16 फरवरी, 2021 ई0**

संख्या 1773/VII-A-1/2021–02(115)/2018–विज्ञप्ति संख्या–1219/VII-1/2018/46ख/17टीसी, दिनांक 18 मई, 2018 द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 23 (1) के प्रावधानानुसार जनपद रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून एवं ऊधमसिंह नगर के कुल 28 रिक्त उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किया गया था, जिसमें जनपद टिहरी के अन्तर्गत क्र.सं. 07 पर वर्णित "जनपद टिहरी गढ़वाल ब्लहसील धनोल्टी के ग्राम घुडसालगांव के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 1,3 कुल रकवा 0.300 है0" **के स्थान पर** "जनपद टिहरी गढ़वाल तहसील धनोल्टी के ग्राम घुडसालगांव के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0–1, 3 एवं मिलानी खसरा सं0 1092 म0, कुल रकवा 0.300 है0" का संशोधन किया जाता है।

2– संगत विज्ञप्ति दिनांक 18 मई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

**एन0एस0 डुंगरियाल,**
संयुक्त सचिव।

---

## गृह अनुभाग–1

### कार्यालय ज्ञाप

23 फरवरी, 2021 ई0

संख्या 149/XX-1/2021–3(19)2007–एतद्द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के नियम–25 के अन्तर्गत निम्नलिखित सीधी भर्ती के 17 पुलिस उपाधीक्षकों का दिनांक 18.12.2019 से प्रान्तीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड में स्थायीकरण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

| क्र. सं. | पुलिस उपाधीक्षक का नाम | क्र. सं. | पुलिस उपाधीक्षक का नाम | क्र. सं. | पुलिस उपाधीक्षक का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री शान्तनु पराशर | 7 | सुश्री दीपशिखा अग्रवाल | 13 | सुश्री वन्दना वर्मा |
| 2 | श्री आशीष भारद्वाज | 8 | सुश्री पूर्णिमा गर्ग | 14 | श्री अनुज कुमार |
| 3 | सुश्री पल्लवी त्यागी | 9 | सुश्री जूही मनराल | 15 | श्री अनुज |
| 4 | श्री अंकुश मिश्रा | 10 | श्री अविनाश वर्मा | 16 | श्री तपेश कुमार चन्द |
| 5 | श्री विवेक कुमार | 11 | श्री दीपक सिंह | 17 | सुश्री संगीता |
| 6 | श्री नरेन्द्र पन्त | 12 | श्री अमित कुमार | | |

आज्ञा से,

ओमकार सिंह,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/109–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2021 ई0 (चैत्र 06, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

### कार्यालय संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून

**विज्ञप्ति**

27 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 10261/तीन–27/रा0प0/2020–21–जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या–578/पे0का0, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा–(2) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–3741/सी0एच0आई0ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–28/XVIII(3) 2021–07(21)2008 TC, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की के नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्राम में उपर्युक्त अधिनियम के अधीन चकबन्दी क्रियायें आरम्भ करने में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी :–

| क्र0सं0 | ग्राम का नाम | तहसील | परगना | जनपद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | मोहनपुरा मजरा सालियर | रुड़की | रुड़की | हरिद्वार |

## विज्ञप्ति

27 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 10262/तीन–27/रा0प0/2020–21–जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, हरिद्वार के पत्र संख्या–578/पे0का0, दिनांक 18 नवम्बर, 2020 से की गई संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 की उपधारा–(1) (क) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या–3741/सी0एच0आई0ई0–454/53, दिनांक 21 नवम्बर, 1963 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके शासनादेश संख्या–28/XVIII(3) 2021–07(21)2008 TC, दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में मैं, बाल मयंक मिश्र, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड, देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि जनपद हरिद्वार की तहसील रुड़की में इस विज्ञप्ति के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से चकबन्दी क्रियायें की जायेगी।

**बी0एम0 मिश्र,**

संचालक चकबन्दी,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

---

## कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी

## टनकपुर (चम्पावत)

### आदेश

27 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक 0080/पंजीयन निरस्त/2020–21–वाहन संख्या UA045121 (BUS) मॉडल 2002 चैचिस 0KWEL4GM0055128 इंजन न0 SLCKS48138 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी प्रबन्धक अलक्ष्या पब्लिक स्कूल, अनाऊ खटीमा, ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। दिनांक 26/12/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं.। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27/01/2021 को वाहन संख्या UA045121 (BUS) मॉडल 2002 चैचिस 0KWEL4GM0055128 इंजन न0 SLCKS48138 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

## आदेश

28 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक 0090/पंजीयन निरस्त/2020–21–वाहन संख्या UA033220 (MAXI CAB) मॉडल 2005 चैचिस 52C12372 इंजन न0 AB54C23180 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी मो0 सलीम पुत्र श्री ए0 अहमद निवासी–नई वस्ती टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 19/12/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28/01/2021 को वाहन संख्या UA033220 (MAXI CAB) मॉडल 2005 चैचिस 52C12372 इंजन न0 AB54C23180 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

## आदेश

30 जनवरी, 2021 ई0

पत्रांक 0107/पंजीयन निरस्त/2020–21–वाहन संख्या UA053813 (MAXI CAB) मॉडल 2005 चैचिस 95724 इंजन न0 32287 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री कौशल पुत्र भोले निवासी–मकान नम्बर 314 रेलवे वार्ड नम्बर 10 टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 19/01/2020 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं,। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30/01/2021 को वाहन संख्या UA053813 (MAXI CAB) मॉडल 2005 चैचिस 95724 इंजन न0 32287 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)

# कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी

## टनकपुर (चम्पावत)

### कार्यालय आदेश

**27 जनवरी, 2021 ई0**

**पत्रांक 6682 निलम्बन/2016**–निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :–

| | लाइसेन्स धारक का नाम व पता | लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता | संस्तुतिकर्ता अधिकारी | अभियोग | निलम्बन अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | जगदीश सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी म.न.45 रैंगॉव पो. चम्पावत जिला चम्पावत। | UK-0320100003561 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT, TRANS TR वैधता 27.09.2024 | टीआई नैनीताल। | क्षमता से अधिक भार। | 31.12.2020 से 30.03.2021 |
| 2 | जोगा सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी ग्राम सिसैया पो. व तह. खटीमा उ.सि.नगर। | UK0320150028039 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, (NT), वैधता 03.12.2035 | टी.आई.खटीमा। | बिना हेलमेट वाहन संचालन | उपरोक्तानुसार |
| 3 | प्रकाश सरकार पुत्र नंदू सरकार निवासी ग्राम भूड़ महोलिया पो. व तह खटीमा जिला उ.सिं.नगर। | UK-0320150022886 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT), वैधता 11.01.2035 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 4 | नरेश श्रीवास्तव पुत्र श्री डोरी लाल निवासी नौगवॉठग्गू पो. व तह. खटीमा उ.सि.नगर। | UK-03 201600028990 मोटर साइकिल विद गियर, (NT), वैधता 31.12.2024 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 5 | फूल चंद पुत्र रोशन लाल निवासी अमार्उे पो. व तह. खटीमा जिला उ.सि.नगर। | UK-03 20160029532 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 08.03.2036 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 6 | ब्रजेश सिंह राना पुत्र गोपाल सिंह राणा निवासी भूड़ महोलिया तह. खटीमा जिला उ.सि.नगर। | UK-032012 0010523 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT),TRANS TR वैधता 28.05.2032 | टीआई टनकपुर। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 7 | प्रयाग सिंह पुत्र कृष्ण सिंह निवासी ग्राम बेलखेत पो. चल्थी जिला चम्पावत। | UK-04 20060095852 हल्का मोटर वाहन, (NT), TRANS TR वैधता 06.03.2021 | उपरोक्तानुसार। | नशे की हालत में वाहन का संचालन। | उपरोक्तानुसार |
| 8 | रमेश सिंह पुत्र पदम सिंह बिष्ट निवासी भजनपुर पो. चंदनी तह. श्री पूर्णागिरी चम्पावत। | UK-03 2001500 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT) वैधता 14.08.2030 | टीआई बनबसा। | बिना हेलमेट वाहन का संचालन। | उपरोक्तानुसार |
| 9 | चांद बाबू पुत्र हाफिज खान निवासी जसोली दिवाली थाना बिलासपुर जिला पीलीभीत। | UP-2620180011712 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मो0 वाहन (NT) वैधता 18.12.2038 | टीआई टनकपुर। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | संदीप सिंह राना पुत्र लबरू सिंह निवासी ग्राम व पो. चंदनी तह. टनकपुर जिला चम्पावत। | UK-03201500024119 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT) वैधता 22.03.2035 | टीआई बनबसा। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 11 | अभिषेक तड़ागी पुत्र आनंद सिंह तड़ागी निवासी ग्राम कनलगॉव पो. तह. व जिला चम्पावत। | UK-0320200002099 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 22.04.2042 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तनुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 12 | इब्राहिम पुत्र हसन निवासी ग्राम पहाड़िया पो. तुलसीपुर थाना सुनवाफुलवारिया सहसपुर। जिला श्रावस्ती। | UP-4620150000842 मोटरसाइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 14.02.2025 | प्रवर्तन दल टनकपुर। | भार वाहन में सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 13 | धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राम नरेश निवासी ग्राम हरिहारपुर पो. लिलौहा थना मितौली जिला लखीमपुरखीरी उ.प्र.। | UP-31 20180010616 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 11.09.2038 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 14 | राजेश कश्यप पुत्र रमेश चन्द्र कश्यप निवासी लाल इमली पड़ाव टनकपुर चम्पावत। | UK0320190002415 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 03.03.2040 | उपरोक्तानुसर। | वहन संचालन के समय मोबाईल का प्रयोग। | उपरोक्तानुसार। |
| 15 | गुरूचरन सिंह पुत्र सुरजन सिंह निवासी सुनगड़ी पीलीभीत उ.प्र.। | UP25 19800003583 TRANS TR वैधता 03.12.2021 | उपरोक्तानुसार। | भार वाहन में सवारी। | उपरोक्तारुसार। |
| 16 | मुस्तकीम खार न पुत्र अबरार खान निवासी रमपुरा बहेड़ी बरेली उ.प्र.। | UP25 20190029835 मोटरसाइकिल विद गियर,हल्का मोटर वाहन (NT) वैधता 01. 05.2037 | उपरोक्तानुसार। | वहन संचालन के समय मोबाईल का प्रयोग। | उपरोक्तानुसार |
| 17 | अतीक अहमद पुत्र लईक अहमद निवासी म.न. 39 अम्बेडकर नगर लालकुँआ नैनीताल। | UK-0420100034040 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT), TRANS TR वैधता 30.08.2021 | उपरोक्तानुसार। | क्ओवरलोड। | उपरोक्तानुसार |
| 18 | विपिन कुमार पुत्र मोहन स्वरूप निवासी सिरसा छथिया पीलीभीत। | UP25 20110012054 मोटरसाइकिल विद गियर,हल्का मोटर वाहन (NT), TRANS TR वैधता 16.06.2022 | उपरोक्तानुसार। | भार वाहन में सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 19 | रमाकान्त प्रजापति पुत्र अमृत लाल प्रजापति निवासी प्रजापति चावल आर न. 150/3 एमआईडीसी रोड यादव नगर ऐरोली नवी मुम्बई थाणे महाराष्ट्र। | MH43 20120003217 मोटर साइकिल विद गियर NT, 3W-GV, LMV TR वैधता 19.11.2029 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 20 | अतर सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासी ग्राम दियोरी पो. व तह. खटीमा जिला उ.सि. नगर। | UK-0320040032799 मोटर साइकिल विदआउट गियर, हल्का मोटर वाहन NT;TRANS TR वैधता 28.05. 2021 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक भार। | उपरोक्तानुसार |
| 21 | राकेश सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासी ग्राम दियूरी पो. व तह. खटीमा जिला उ.सि. नगर। | UK-0320070032798 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT;TRANSTR वैधता 07.06. 2021 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | राम गोपाल पुत्र नंद राम निवासी ग्राम पीपरिया संतोष थाना माधेटांडा पुरनापुर जिला पीलीभीत। | UP 2620120004856 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT); TRANS TR वैधता 14.11.2024 | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 23 | बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी ग्राम खिरका बहोरूआ थाना मझोलाा जिला पीलीभीत। | UP26-2020190012046 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT),वैधता 24. 11.2029 | उपरोक्तानुसार। | भार वाहन में सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 24 | रमाकांत पुत्र शम्भू दयाल निवासी हीरपुर अतरिया जिला सीतापुर उ.प्र.। | UP34-20120003590 मोटर साइकिल विद गियर, (NT); TRANS TR वैधता 19.03.2032 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 25 | छीवान सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम लड़ाबोरा पो. अमोड़ी जिला चम्पावत। | UK-0319980032934 हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 13.11.2024 | उपरोक्तानुसार। | वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग। | उपरोक्तानुसार |
| 26 | मंगल सिंह पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम व पो. नेहरू ग्राम तह. रायपुर रानी जिला देहरादून। | UK-2120140065321 हल्का मोटर वाहन NT; वैधता 04.12.2034 | टीआई महामार्ग पोलिस केन्द्र बालापुर जिला अकोला महाराष्ट्र। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। |

## कार्यालय आदेश

**16 फरवरी, 2021 ई0**

**पत्रांक 169 निलम्बन/2016**–निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :–

| | लाइसेन्स धारक का नाम व पता | लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता | संस्तुतिकर्ता अधिकारी | अभियोग | निलम्बन अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | कमल किशोर पुत्र चन्द्र शेखर निवासी ग्राम सकदेना पो. धूनाघाट जिला चम्पावत। | UK-0320160029956 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 10.04.2036 | टीआई चम्पावत। | क्षमता से अधिक सवारी। | 30.01.2021 से 29.04.2021 |
| 2 | कुन्दन सिंह पुत्र माधो सिंह निवासी ग्राम डुमरी पो. अमोड़ी जिला चम्पावत। | UK0420050062706 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, (NT),TRANS TR वैधता 04. 11.2025 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक भार। | उपरोक्तानुसार |
| 3 | भीम राम पुत्र महेश राम निवासी ग्राम फागपुर पो. चंदनी थाना बनबसा चम्पावत | UK-0320170034526 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT), वैधता 21. 02.2037 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 4 | फिरोज खान पुत्र रईस खान निवासी वार्ड न. 4 टनकपुर जिला चम्पावत। | UK-03 20170035147 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT), वैधता 26.03.2037 | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार' |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | अशर्फी लाल पुत्र फकीरे लाल निवासी ज्ञानखेड़ा टनकपुर जिला चम्पावत। | UK03 2018002937 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन (NT); वैधता 19.09.2032 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 6 | अशोक सिंह पुत्र पान सिंह निवासी ग्राम वार्ड न.6 जूप पटवा जिला चम्पावत। | MH16 2016 0007716 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT), वैधता 30. 03.2036 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 7 | अमित सिंह रावत पुत्र पुष्कर सिंह रावत निवासी चौकुनी बोरा चम्पावत। | UK-03 2020000678 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन, NT वैधता 08.05.2037 | उपरोक्तानुसार। | बिना हेलमेट वाहन संचालन। | उपरोक्तानुसार |
| 8 | रमेश चन्द्र पुत्र उमापति निवासी निवासी कोट अमोड़ी जिला चम्पावत। | UK-03 200170034134 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT),TRANS TR वैधता 04.04.2022 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 9 | निखिल बोहरा पुत्र पुष्कर सिंह बोहरा निवासी खर्ककार्की चम्पावत। | UK 03 20190001594 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मो0 वाहन (NT) वैधता 02.07.2039 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 10 | देवेश नाथ पुत्र भैरव नाथ निवासी कनलगॉव जिला चम्पावत। | UK-0320170034577 मोटर साइकिल विद गियर, हल्कामोटरवाहन (NT) वैधता 22.02.2037 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 11 | चंदन सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी ग्राम फुंगर चम्पावत जिला चम्पावत। | KA-5020110003087 मोटर साइकिल विद गियर (NT), वैधता 18.04.2031 | प्रवर्तन दल। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 12 | असगर साह पुत्र सहजादी साह निवासी गंगापुर विलासपुर जिला रामपुर उ.प्र.। | UP-22 20050005817 मोटरसाइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 25.10.2025 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 13 | करमचंद पुत्र विजेन्द्र सिंह निवासी द्वारा उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक चम्पावत जिला चम्पावत। | DL no. 8009000644 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 06.12.2029 | उपरोक्तानुसार। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन। | उपरोक्तानुसार |
| 14 | विमल कुमार आर्य पुत्र प्रहलाद राम निवासी सैलखोला चम्पावत। | UK0320190002329 मोटर साइकिल विद गियार, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 19.03.2034 | उपरोक्तानुसर। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार। |
| 15 | प्रकाश चंद्र पुत्र महादेव निवासी स्वाला चम्पावत जिला चम्पावत। | UK-0419980097102 हल्का मोटर वाहन (NT) TRANS TR वैधता 25.11.2021 | उपरोक्तानुसार। | खतरनाक संचालन। | उपरोक्तारुसार। |
| 16 | राजेन्द्र सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह निवासी शारदा कलोनी सिविल लाइन थाना लोहाघाट जिला चम्पावत। | UK0320500031611 मोटरसाइकिल विद गियर,हल्का मोटर वाहन (NT), TRANS TR वैधता 03.11.2024 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 17 | विपिन विश्वकर्मा पुत्र मदन लाल निवासी पाटन पाटनी लोहाघाट जिला चम्पावत। | UK-0320170035857 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT) वैधता 14. 05.2037 | उपरोक्तानुसार। | एमवीएक्ट का उल्लंघन। धारा 128/194 (ग)। | उपरोक्तानुसार |
| 18 | शुभम भट्ट पुत्र रमेश चन्द्र भट्ट निवासी चंदनी तह. पूर्णागिरी जिला चम्पावत। | UK-0320130017940 मोटरसाइकिल विद गियर (NT), वैधता 02.12.2033 | उपरोक्तानुसार। | बिना हेलमेट वाहन का संचालन। | उपरोक्तानुसार |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | यशपाल पुत्र होतम सिंह निवासी सिसैया केशरपुर भूटा बरेली उ.प्र.। | UP25 20160020694 मोटर साइकिल विद गियर,मोटर साइकिल विद गियर NT,वैधता 22.08.2036 | प्रवर्तन दल टनकपुर। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 20 | राधेश्याम मौया पुत्र लालता प्रसाद मौर्य निवासी ग्रीनगोल्ड नर्सरी टेडी पुलिया काठगोदाम नैनीताल। | UK0420030165463 मोटर साइकिल विदआउट गियर, हल्का मोटर वाहन NTवैधता 05.02.2023 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 21 | रवि कुमार पुत्र राम सरन निवासी सबलपुर बांदा पुवैया जिला शॉहजानपुर उ.प्र.। | UP27 20200012615 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 31.12.2036 | उपरोक्तानुसार। | भार वाहन में सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 22 | राजेश्वर सिंह पुत्र चंद्रपाल निवासी 75 कच्चाकटरा ऑवला बरेली। | UP 2520110002369 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT); TRANS TR वैधता 18.11.2034 | उपरोक्तानुसार | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 23 | संतोष कुमार गुप्ता पुत्र के. एल. गुप्ता निवासी बिजोला दातागंज जिला बदायूँ उ.प्र.। | UP-2420080013953 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का वाहन, (NT),TRANS TR वैधता 05.06.2028 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार |
| 24 | लालता प्रसाद पुत्र ढाकन लाल निवासी 162 मनु नगर कलपुर नबावगंज बरेली उ.प्र.। | DL N0- UP25/14380 मोटर साइकिल विद गियर,हल्का मोटर वाहन (NT) वैधता 14.06.2028 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 25 | कृष्ण गोपाल पुत्र राम नरेश निवासी 21 गंगा दरवाजा केमगंज जिला फरूर्खाबाद उ. प्र.। | UP76 20170009903 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 22.09.2037 | उपरोक्तानुसार। | भार वाहन में सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 26 | छोटे लाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम मोहम्मद गंज आमखड़िया बिलासपुर पीलीभीत उ.प्र.। | UP 26 20190000262 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 31.12.2035 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार |
| 27 | प्रदीप कुमार पुत्र राम बल्लभ निवासी नौवा नगला पो. राम नगर जगतपुर तह.बिलासपुर जिला पीलीभीत। | UP 26 20200000864 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 31.12.2035 | उपरोक्तानुसार। | भार वाहन में सवारी | उपरोक्तानुसार। |
| 28 | शंकर लाल पुत्र काली चरन निवासी नौवानगला पो. रामनगर जगतपुर तह. बिलासपुर जिला पीलीभीत। | UP 26 20190000262 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 31.12.2029 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। |
| 29 | अवधेश कुमार पुत्र भेवाराम ग्राम संदई पो. माधोटांडा जिला पीलीभीत। | UP 26 20150010645 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 28.10.2035 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। |
| 30 | घनश्याम पुत्र जय दत्त निवासी ग्राम बगेड़ी पो. धौन जिला चम्पावत। | UK-0320040004436 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 16.12.2021 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार। |
| 31 | शाहिद हुसैन पुत्र मुन्ने बाबू निवासी शास्त्री नगर वार्ड पो. टनकपुर जिला चम्पावत। | UK-0320140019621 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 04.04.2034 | उपरोक्तानुसार। | वाहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग। | उपरोक्तानुसार। |
| 32 | भुवन धार पुत्र धर्मानंद निवासी म.न. 31 गैंडाखाली न. 3 टनकपुर जिला चम्पावत। | UK03 20190001746 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 09.10.2029 | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। | उपरोक्तानुसार। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | प्रतीक चंद पुत्र जनक चंद निवासी पचपकरिया पो. चंदनी टनकपुर जिला चम्पावत। | UK-0320190000262 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; वैधता 10.07.2037 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक सवारी। | उपरोक्तानुसार। |
| 34 | फारूख खान पुत्र संसार खान निवासी ध्रुव नगर ऑवला बरेली उ.प्र.। | UP 25 20160028193 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT; TRANS TR वैधता 16.03.2021 | उपरोक्तानुसार। | वहन संचालन के समय मोबाइल का प्रयोग। | उपरोक्तानुसार। |
| 35 | शकील हुसैन पुत्र मुमताज हुसैन निवासी मनिहारगोठ टनकपुर चम्पावत। | UK-03 20060002048 मोटर साइकिल विद गियर, हल्का मोटर वाहन NT वैधता 31.12.2035 | उपरोक्तानुसार। | क्षमता से अधिक भार। | उपरोक्तानुसार। |

लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
टनकपुर चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/109–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 मार्च, 2021 ई0 (चैत्र 06, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## कार्यालय नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, (देहरादून)

### उपविधि

30 दिसम्बर, 2019 ई0

पत्रांक 891/उ0वि0–ठेकेदारी/2019–20–नगरपालिका परिषद् विकासनगर द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम–1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2007 की धारा–298झ(घ) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 की धारा–3, 6 व 25 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित **"ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम–1916"** के नियम–15(ण), 15(च) एवं 15(य,च) तथा उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना अधिनियम–2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नगरपालिका परिषद्, विकासनगर, जनपद–देहरादून द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए अपने सीमान्तर्गत **"ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019"**, बनायी गयी उपविधि नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–301 (1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित की गयी, परन्तु नियत अवधि के अन्दर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त न होने के फलस्वरूप नगरपालिका बोर्ड बैठक दिनांक 11–12–2019 के प्रस्ताव सं0–01 द्वारा नगरपालिका अधिनियम–1916 की धारा–301(2) के अन्तर्गत यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित करने की पुष्टि का प्रस्ताव पारित किया गया है, यह उपविधि उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

## ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019

## अध्याय–1

### सामान्य

3. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ :–**

(1) यह **उपविधि नगरपालिका परिषद, विकासनगर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि–2019 कहलाएगी।**

(2) यह उपविधि उत्तराखण्ड सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(3) नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि–2014 (संशोधित) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं यूजर चार्ज उपविधि–2017, सरकारी गजट उत्तराखण्ड दिनॉक 18–10–2014 एवं 25–11–2017 द्वारा प्रख्यापित उपविधि **"ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2019"** लागू होने की तिथि से स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

4. यह उपविधि नगरपालिका परिषद, विकासनगर जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

**3. परिभाषाएं :–**

(1) किसी विषय या प्रसग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उपविधि में निम्नलिखित परिभाषाएं लागू रहेगी :–

(क) **"बल्क उघान और बागवान कचरा"** का अर्थ हैं, उघानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेडों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेडो की कटिंग,टहनियां, लकडी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेडों की छटाई आदि से उत्पन ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नही किया जा सकता हैं।

(ख) **"बल्क कचरा उत्सर्जन** का अर्थ हैं कि ठोस अपशिष्ठ कचरा प्रबंधन नियम,2016(जिसे बाद में यहा एस.डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्व वार्ड कार्यालय के अधिशासी अधिकारी या उससे वरिष्ठ अधिकारीयों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के स्त्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुचाना,

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ हैं नगरपालिका परिषद, विकासनगर के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी।

(ड) **"निर्माण एवं विध्वंस कचरा"** का वही अर्थ होगा,जो निर्माण एवं विध्वंस ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियम, 2016 के नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(च) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारो ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली,फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख–रखाव इन उपविधियो के अर्न्तगत किया जाना हैं।

(छ) **"सामुदायिक कूडा घर (ढलाव)"** का अर्थ है, नगरपालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सडक किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

(ज) **"कंटेनराइज्ड हैड कार्ट"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगरपालिकाया उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;

(झ) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ठ को नगरपालिका के वर्कर या ऐसे ठोस अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिए नगरपालिका परिषद, विकासनगर द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगरपालिका या नगरपालिका द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;

(ञ) **"ई–कचरा"** का अर्थ वही होगा, जो ई–कचरा (प्रबन्धन) नियम,2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया हैं;

(ट) **"फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)** " का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती हैं। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती हैं, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;

(ठ) **"ठोस अपशिष्ट"** का अर्थ है, सभी प्रकार का कूडा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेकना अथवा संग्रह करना इन उपविधियो के अंतर्गत प्रतिबंधित हैं और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुचाने की आशंका हो।

(ड) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ढ) **"स्वामी"** का अर्थ है, जो किसी भवन या भूमि या किसी भाग के मालिक के रुप में अधिकारों का इस्तेमाल करता हैं;

(ण) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि, भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि , भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हैं।

(प) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस अपशिष्ट से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकडे होते हैं; और उनके ईधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईधन कहा जाता हैं।

(फ) **"निर्धारित"** का अर्थ है, एसडब्यूएम नियमो या इन उपविधियो द्वारा निर्धारित;

(ब) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान,जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ हैं, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही;

(भ) **" संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;

(म) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगरपालिका के इलाकों में ठोस अपशिष्ट एकत्र करने या हटाने अथवा नालियो को साफ करने के लिए नगरपालिका/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;

(य) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उपविधि से सम्बद्व शेड्यूल से है,

(र) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी"** का अर्थ है, नगरपालिका द्वारा समय–समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए ठोस अपशिष्ठ उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस अपशिष्ट संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;

(ल) **"खाली प्लाट "** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्व कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम–2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम–2016 में अभिप्रेत होगा।

## अध्याय –2

### ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. ठोस अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

**(प)** सभी ठोस अपशिष्ट उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलो से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को नियमित रुप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रुप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगा:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या सूखा कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा और तीनो श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बो में रखा जाएगा तथा समय समय पर जारी नगरपालिका के निर्देशों के अनुसार पथ्थकृत ठोस अपशिष्ट को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

**(पप)** प्रत्येक बल्क ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उज्सर्जित ठोस अपशिष्ट को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नाकित 3 वर्गो में:–

(क) गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरा

(ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा

(ग) उपयुक्त कूडेदानों में जोखिमपूर्ण ठोस अपशिष्ट, जैविक (गीला) कचरे को अपने परिसर में प्रोसेस कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एंजेसी जरिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रो या संग्रहण केंद्रो को सौपेगा और उसके लिए को नगरपालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।

**(पपप)** पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कूडेदानों का रंग इस प्रकार होगा:–

हरा:– जैव अपघटीय कचरे के लिए;

नीला:– गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए;

काला:– घरेलु जोखिम पूर्ण कचरे के लिए

(पअ) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, नगरपालिका के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वालों को सौपी जाएं। जैव अपघटीय कचरें की प्रोसेंसिग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे कचरे को नगरपालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अ) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान नगरपालिका की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूडा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए ठोस अपशिष्ट को नगरपालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अप) सभी होटल और रेस्त्रां, नगरपालिका के भागीदारी सें, कचरे का स्त्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए गये ठोस अपशिष्ट को अलग अलग डिब्बे में संग्रहीत करेगें और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को नगरपालिका द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(अपप) कोई व्यक्ति गैर–लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नही करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरुरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगरपालिका को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्त्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि नगरपालिका द्वारा निधारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौपा जा सकें।

(अपपप) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओं या ब्रॉड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर–जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूडेदान में रखा जाना चाहिए।

(पग) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूडेदानो में संग्रहित करेगा और उसे नगरपालिका द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौपेगा।

(ग) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय समय पर नगरपालिका के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(गप) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगरपालिका या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा ऐसे कचरे का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय–समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।

**(गपप)** निर्माण कार्यो और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम–2016 के अनुसार अलग से एकत्र और निपटान किया जायेगा।

**(गपपप)** बायो मेडिकल कचरा, ई–कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नही किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।

**(गपअ)** निर्दिष्ट बूचडखानों और बाजारों को छोड कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरुप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबधी कचरा उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन/स्थल तक पहुचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूडा घरो में डालना निषेध होगा।

**(गअ)** पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हे अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी पालिका श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

## अध्याय–3
## ठोस अपशिष्ट संग्रह

5. ठोस अपशिष्ट का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः–

**(प)** नगरपालिका के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को घर–घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्लूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर–घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को नगरपालिका संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

**(पप)** प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्व क्षेत्र में खास–खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगरपालिका वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर–घर जाकर ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट एकत्र करने का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा अथवा नगरपालिका द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

**(पपप)** ठोस अपशिष्ट को स्व–स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएगे।

**(पअ)** सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।

**(अ)** बागवानी और उद्यान संबंधी ठोस अपशिष्ट अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रायोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगें।

**(अप)** फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे ठोस अपशिष्ट को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता हैं।

**(अपप)** कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध हैं। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो ठोस अपशिष्ट का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।

**(अपपप)** ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को नगरपालिका द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर/ऑटो–टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनो में डालने के लिए जिम्मेदार होगें। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों(इन उपनियमों के खंड 4 व उप–खंड(पअ) और (अ) के अंतर्गत आने वालों को छोड कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

**(पग)** ठोस अपशिष्ट संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरुरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजो को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर–जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो पर हूटर भी लगा होगा।

**(ग)** स्वचालित ध्वनि रिकार्डिड उपकरण,घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।

**(गप)** प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाए और नगरपालिका द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्व और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगरपालिका द्वारा विधिवत रुप से अनुमोदित होगी और उनमें प्रारंभिक बिन्दु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगरपालिका अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी,ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी नगरपालिका की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

**(गपप)** तंग गलियों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/ साईकिल रिक्सा काम पर लगाया जाएगा,जो ऊपर से हाईड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनो में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

**(गपपप)** अत्यंत भीड भाड वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

**(गपअ)** ऐसी छोटी, तंग और भीडी गलियों/लेनों में जहा थ्रीव्लीहर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो,ऐसे स्थानों पर बस्ति/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खडा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास एक सीटी होगी और वे सीटी बजाते हुए गली में ठोस कचरा संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगरपालिका की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

**(गअ)** ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्त्रोतो जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूडेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।

**(गअप)** नगरपालिका या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होगें।

## अध्याय–4
## ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण

**6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नाकित अनुसार किया जाएगा**

**(प)** घरो में एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूडा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगरपालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।

**(पप)** ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओ को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा,जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होगें:–

(क) गैर–जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
(ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।

**(पपप)** पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए नगरपालिका द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरो का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जायेगा:–

- हराः जैव अपघटीय कचरे के लिए
- नीलाः गैर–जैव अपघटीय कचरे के लिए
- कालाः घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

**नगरपालिका समय–समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।**

**(पअ)** नगरपालिका स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रो का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।

**(अ)** द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर नगरपालिका या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगो के होगे।

**(अप)** संग्रहण केन्द्रो का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

**(अपप)** संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रहण किए गये कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पडे।

**(अपपप)** सभी आवास सहकारी समितीयों, एसोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन

कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानो पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें ताकि वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढग से संगृहीत किया जा सकें।

**(पग)** नगरपालिका या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे सप्ताहिक आधार पर सभी कूडाघरों की धुलाई और संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

**(ग) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर**

**(क)** नगरपालिका अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रीसाइकलिंग केंद्रों के रुप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढाई जा सकती है।

**(ख)** गली/घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर–जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रीसाइकलिंग केंद्रो को स्थानातरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।

**(ग)** परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगरपालिका से अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरो के अनूसार बैच सकते है। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकलिंग यूनिटों को बेच सकते है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशी रखने का हकदार होंगे।

**(गप) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र**

**(क)** घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहा निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासमम्भव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

**(ख)** नगरपालिका अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।

**(ग)** इस तरह प्राप्त किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटानं केंद्रो पर अलग से लाया जाएगा।

## अध्याय–5
## ठोस अपशिष्ट की ढुलाई

**7. ठोस अपशिष्ट की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी:–**

**(प)** ठोस अपशिष्ट की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभाति कवर्ड होंगे ताकि एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पडे। इन वाहनो में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है,जो नगरपालिका द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगे।

**(पप)** नगरपालिका द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूडेदान या कंटेनरों के आस पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

**(पपप)** आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथिनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुचाया जाएगा।
**(पअ)** जहा कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

**(अ)** एकत्र किया गया गैर–जैव अपघटीय कचरा सम्बद्व प्रोसेसिंग केंद्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुचाया जाएगा।
**(अप)** निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम,2016 के प्रावधानो के अनुसार की जाएगी।
**(अपप)** नगरपालिका कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।
**(अपपप)** ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सकें।
**(पग)** कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानांतरित करेंगे।

**(ग)** यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खडे नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए नगरपालिका द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।
**(गप)** फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रासफर स्टेशन को हूक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
**(गपप)** कचरे की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नही होना चाहिए।
**(गपअ)** कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।
**(गअ)** इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करनें वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूडादानों से कचरा प्राप्त करेंगा।
**(गअप)** परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो–टिप्परों , तिपहिया वाहनो, रिक्शा आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रुट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्व एमटीएस तैनात किए जाएगें।
**(गअपप)** एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूडा करकट इधर उधर न फैले।
**(गअपपप)** ठोस कचरे को स्थानांतरित करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।
**(गअग)** नगरपालिका अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

## अध्याय–6
## ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग

**8. ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग :–**

**(प)** नगरपालिका ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रो और सम्बद्व ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अजाम देगा, ताकि ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योर्किकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन किया जायेगाः–

**(क)** ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो–मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव–स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति;

**(ख)** केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बडे कम्पोस्टिंग/बायो–मिथेनेशन प्लांटो के जरिए;

**(ग)** कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस कचरा अधारित बिजली संयंत्रो को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रुप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रुप में ईधन प्रदान करते हुए;

**(घ)** निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।

**(पप)** नगरपालिका रिफ्यूज डेराइव्य फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

**(पपप)** कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्व अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

**(पअ)** नगरपालिका सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपडा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियो को भेजा जाए।

**9. ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा–निर्देशः–**

**(प)** नगरपालिका सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलो एवं रेस्त्राओं, बैक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो–मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय कचरे वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व–स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

**(पप)** नगरपालिका यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

**(पपप)** नगरपालिका यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों में ही किया जाए।

**(पअ)** नगरपालिका कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

## अध्याय–7
## ठोस अपशिष्ट का निपटान

**10. ठोस अपशिष्ट का निपटान**

नगरपालिका ठोस अपशिष्ट और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरुप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्व ढाचे का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव करेगा।

## अध्याय–8
## इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

**11. ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः–**

**(क)** कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगरपालिका द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची–1 में निर्दिष्ट है।

**(ख)** कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगरपालिका अथवा मेयर/नगरपालिका द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

**(ग)** नगरपालिका इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिंलिग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रुप से अद्यतन बनाया जाएगा।

**(घ)** नगरपालिका ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियां अपनाएगा।

**(ड)** इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

**(च)** वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

**(छ)** अनुसूंची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

**(ज)** इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

**(झ)** इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू–राजस्व के बकाये की भॉती वसूल की जायेगी।

**12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माला/दंड :–**

**(क)** एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप–नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप–नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

**(ख)** उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर–अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

**(ग)** जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी, कर निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होगें तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची–2 में दी गयी है।

**(घ)** अनुसूची–2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ जाएगी।

**(ड)** निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशी भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

## अध्याय–9
## प्रतिभागियों के दायित्व

**13. ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के दायित्वः–**

**(प) कूडा फेकने पर पाबंदी**

**(क)** उत्तराखण्ड कूडा फैकना एवं थूकना अधिनियम–2016 मे दिये गये प्राविधानो के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक स्थल पर कूडा फैलाना : अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूडादानो के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सर्वाजनिक स्थल पर कूडा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केद्रों या सुविधाओं को छोडकर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

**(ख)** किसी संपत्ति पर कूडा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूडेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूडा नही डालेगा।

**(ग)** वाहनों से कूडा फेकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रुप में कोई व्यक्ति किसी गली, सडक, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूडा नही फैकेगा।

**(घ)** मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सडक, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

**(ड)** स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी : कुत्ता, बिल्ली आदि पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरो द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।

**(च)** नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

**(पप)** कचरे को जलाना : सार्वजनिक स्थानों पर या निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान निषिद्व होगा।

**(पपप)** "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानो में फुटपाथ और खुली नालियां/गटर, सडक किनारा सामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।

**(पअ)** सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रर्दशनियां, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियां, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशनो और प्रर्दशनो आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और/या नगरपालिका से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस पास के क्षेत्रों की स्वस्च्छता सुनिश्चित करें।

**(अ)** ऐसे आयोजनो के मामले में आयोजक से नगरपालिजका द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्व सफाई निरीक्षक या नगरपालिका द्वारा अधिकृत कर्मचारी प्राप्त करेगा, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई हैं। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरुप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगरपालिका की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगरपालिका के सम्बद्व सफाई निरीक्षक को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

**(अप)** खाली प्लांट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर–निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से नगरपालिका निम्नांकित ढंग से निपटेगा :–

**(क)** नगरपालिका किसी परिषर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

**(ख)** यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भुगतान करना होगा।

**(ग)** यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओ का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरपालिका निम्नांकित कार्यवाई कर सकता है :–

**(घ)** ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना, और (पप) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

**(अपप)** डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्व :

**(क)** डिस्पोजेबल उत्पादो जैसे टिन, काच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगरपालिका के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारो में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए नगरपालिका को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगरपालिका इस प्रावधान के लिए केन्द्र सरकार/राज्स सरकार के सम्बद्व विभागों के साथ समन्वय कर सकती है।

**(ख)** ऐसे सभी ब्रैड मालिको को, जो गैर–जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हे ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।

**(ग)** सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादो में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थो का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनसें नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

**(घ)** ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैंपिग और डिस्पोजल के लिए लोगो को शिक्षित करेगी।

**14. नगरपालिका के दायित्व :**

**(प)** नगरपालिका अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए नगरपालिका अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी–निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगरपालिका सभी वाणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यक क्षेत्रो की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यता हों।

**(पप)** नगरपालिका अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गो, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रो आदि के आसपास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूडेदानों का रख रखाव करेगा।

**(पपप)** नगरपालिका विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सर्वाजनिक स्थलो पर बने पेशाबघरों, सर्वाजनिक कचरे के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानो की निगरानी रख सके।

**(पअ)** सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरे के प्रथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यो की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।

**(अ)** प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरुप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती सुक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगरपालिका जहां कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असर्मथ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

**(अप)** नगरपालिका अद्यतन सडक/गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरो अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

**(अपप)** नगरपालिका सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरुकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जको और अन्य हितभागियो को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में प्रशिक्षित करेंगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानो की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।

**(अपपप)** नगरपालिका कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्त्रोत पर ही उपचार करे। नगरपालिका विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो–मिथेनेशन, कम्पोस्टिग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनो और संस्थानों आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्व वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते है।

**(पग)** नगरपालिका स्वयं द्वारा रख रखाव किए जा रहें सभी पार्को, उद्यानों और जहां कही संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते है।

**(ग)** नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हे ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सकें।

**(गप)** नगरपालिका यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताले, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।

**(गपप)** नगरपालिका कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यवसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।

**(गपपप)** किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगरपालिका को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

**(गपअ)** नियमित जांच : महापौर, उपमहापौर द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप–नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा हैं।

**(गअ)** नगरपालिका अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमएस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।

**(गअप)** नगरपालिका एसडब्ल्यूएम नियमों और उप–नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिकत दर्ज करने के लिए कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाडी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

**(गअपप)** पारदर्शिता और सर्वाजनिक पहुच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाऐ प्रदान करेगा।

**(गअपपप)** नगरपालिका एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रुप से उल्लिखित नही किए गये हैं।

## अध्याय–10
## विविध

**15.** इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष, नगरपालिका के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

**16.** सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगरपालिका अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।

**17.** सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और इन उपविधियो के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं

## अनुसूची–1
## ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| क्र सं | अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार | प्रतिमाह सेवा शुल्क(यूजर चार्जेज रुपये में) |
| 1. | गरीबी रेखा से नीचे के घर(बी.पी.एल कार्ड धारक) | रु 20.00 प्रतिमाह |
| 2. | गरीबी रेखा से उपर एवं मध्यम आय वर्ग के मकान/परिवार | रु 50.00 प्रतिमाह |
| 3. | उच्च वर्ग के परिवार/मकान | रु 100.00 प्रतिमाह |
| 5. | सब्जि एवं फल विक्रेता | रू 5.00 प्रतिदिन ठेली पर फेरी |
| | | रू 500.00 प्रतिमाह दुकान एंव फड |
| 6. | मांस एवं मछली विक्रेता | रू 1000.00 प्रतिमाह |
| 7. | रेस्टोरेन्ट | रू 300.00 प्रतिमाह छोटे रेस्टोरेन्ट |
| | | रू 500.00 प्रतिमाह मध्य रेस्टोरेन्ट |
| | | रू 1000.00 प्रतिमाह बडे रेस्टोरेन्ट |
| 8. | होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस | रू 200.00 प्रतिमाह 20 बेड तक |
| | | रू 500.00 प्रतितमाह 21 से 40 बेड तक |
| | | रू 1000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक तथा इससे अधिक पर प्रति बेड रू 10 अतिरिक्त |
| 9. | धर्मशाला | रू 500.00 प्रति उत्सव/समारोह एवं प्रति |
| 10. | बरातघर(चेरिटेबिल) | रू 500.00 प्रति उत्सव/समारोह |
| | बरातघर(नॉन–चेरिटेबिल) | रू 2000.00 प्रति उत्सव/समरोह |
| 11. | बेकरी | रू 200.00 प्रतिमाह |
| 12. | कार्यालय/बैक | रू 200.00 प्रतिमाह 50 कर्मचारी तक |
| | | रू 500.00 प्रतिमाह 51 से 100 कर्मचारी तक |
| | | रू 800.00 प्रतिमाह 101 से अधिक कर्मचारीतक |
| 13. | स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(आवासीय) | रू 2000.00 प्रतिमाह 50 बेड तक ओर उससे अधिक पर रू 10.00 प्रति बेड |
| 14. | स्कूल/शिक्षण संस्थाएं(अनावासीय) | रू 1000.00 प्रतिमाह 500 विद्यार्थियो तक |
| | | रू 5000.00 प्रतिमाह 501 से अधिक विद्यार्थियो तक |
| 15. | हॉस्पिटल/नर्सिग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर) | रू 500.00 प्रतिमाह 20 बेड तक |
| | | रू 1000.00 प्रतिमाह 21 से 40 बेड तक |
| | | रू 2000.00 प्रतिमाह 41 से 100 बेड तक |
| | | रू 5000.00 प्रतिमाह 101 से अधिक बेड तक |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. | क्लीनिक/पैथोलोजी | रू 100.00 प्रतिमाह क्लीनिक |
| | | रू 300.00 प्रतिमाह पैथोलोजी |
| 17. | दुकान/चाय की दुंकान | रू 100.00 प्रतिमाह छोटी दुकान |
| | | रू 200.00 प्रतिमाह बडी दुकान |
| 18. | फैक्ट्री | रू 500.00 प्रतिमाह छोटी |
| | | रू 1000.00 प्रतिमाह बडी |
| 19. | वर्कशॉप | रू 200.00 प्रतिमाह छोटा वर्कशॉप |
| | | रू 500.00 प्रतिमाह बडा वर्कशॉप |
| 20. | कबाडी | रू 200.00 प्रतिमाह छोटा कबाडी |
| | | रू 500.00 प्रतिमाह बडाकबाडी |
| 21. | जूस/गन्ने का रस विक्रेता | रू 10.00 प्रतिदिन ठेली/फड |
| | | रू 500.00 प्रतिमाह दुकान |
| 22. | सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/ प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमें अपशिष्ट उत्पन्न हो | रू 500.00 प्रतिदिन होटल |
| | | रू 1000.00 प्रतिदिन वैडिग प्वान्ट |
| | | रू 2000.00 प्रतिदिन सार्वजनिक/ निजी स्थल पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन |
| 23. | ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट | रू 200.00 प्रतिदिन 0.50 घनमीटर तक |
| | | रू 500.00 प्रतिदिन 1.00 घनमीटर तक |
| | | रू 1000.00 प्रतिदिन 6.00 घनमीटर तक तथा उससे अधिक पर रू 200.0 घनमीटर अतिरिक्त |
| 24. | सिनेमा हॉल | रू 500.00 प्रतिमाह |
| 25. | उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य(प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार) | रू 500.00 बडी दुकान अथवा टुपलैक्स दुकान |
| | | रू 1000.00 शोरूम/काम्पलैक्स/टावर |
| 26 | पालिका सीमा मे स्थित होटलो पर ठहरने वाले पर्यटको पर सफाई कर | होटल रूम किराया की कुल लागत पर 10 प्रतिशत प्रतिदिन सफाई कर देय होगा। |

इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंम भुगतान/प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

## अनुसूची–2
## जुर्माना/दंड

| क्र सं | नियम/उप नियम संख्या | अपराध | निम्नांकित पर लागू | प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | एसडब्ल्यूएम नियमों का | कचरे को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत | आवासीय<br>बल्क जन्रेटर | 200<br>500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | नियम 4(1)(क) | कचरे को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल | 5,000 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान | 2000 |
| | | | 5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर–आवासीय स्थान | 200 |
| | | | फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूडे को पृथ्थकरण तरीके से न रखना | 200 |
| | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) | सडक/गली में 1. कूडा फैकना,थूकना | उल्घनकर्ता | 200 से 500 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी। |
| | | 2.नहाना,पैशाब करना, जानवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना | | 500 |
| 2. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ) | नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना। | आवासीय | 200 |
| | | | गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर | 500 |
| 3. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग) | नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना। | आवासीय | 500 |
| | | | गैर–आवासीय/बल्क जन्रेटर | 2000 |
| 4. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(ट), | ठोस कचरे को खुले में जलाना | उल्लंघनकर्ता | 2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4) | निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना | ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो | 5,000 |
| 6. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5) | नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूडादान न रखने एवं कूडे को पृथ्थकरण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर | उल्लंघनकर्ता | 200 |
| 7. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2), 15(छ) | सार्वजनिक स्थलो, सडको, गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/ अन्य जानवरो द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता | अपराधी | 500 |
| निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा | | | | |
| 8. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर.डब्ल्यू.ए | 5,000 |
| | | | बजार एसोसिएशन,संघ | 10,000 |
| 9. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | द्वारबंद समुदाय | 5,000 |
| | | | संस्थान | 10,000 |
| 10. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8) | नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता | होटल | 10,000 |
| | | | रेस्टोरेंट | 5,000 |
| 11. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2) | उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरे को वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन | विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी | 50,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3) | नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता | विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कुपनियां | 25,000 |
| 13 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15य(ङ) | नियमों के उपाय करने, भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता | उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटि या मॉर्केट काम्पलेक्स आदि | 25,000 |
| 14 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग) | गलियों, पहाडियों, सार्वजनिक स्थलो में अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सोफ्ट ड्रिक, कैन, टैट्रा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट को फैकने पर | उल्लंघनकर्ता/पर्यटक /वाहन/चालक | 500 |
| 15 | एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ) | नगरपालिका की उप विधि को होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता | उल्लंघनकर्ता/होटल / अतिथिग्रह स्वामी | 500 |
| 16 | | सार्वजनिक सभाओं (जलूस प्रर्दशिनियों, सर्कस,मेले,राजनैतिक रैलिया,वाणिजिक,धार्मिक, सास्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रर्दशन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता) | आयोजनकर्ता | 2000 |

बी0एल0 आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

शान्ति जुवॉठा,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, विकासनगर।

# कार्यालय नगर पालिका परिषद् जसपुर (ऊधमसिंह नगर)

06 मार्च, 2021 ई0

**पत्रांक 580/2020–21/20**–संख्या ५८० - उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम १९१६ (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-२९८(२) के अंतर्गत दी गयी शक्तियों के अधीन नगर पालिका परिषद जसपुर के निर्माण कार्यों के संपादन करने हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण के लिए पूर्व व्यवस्था को समाप्त करते हुए ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि बनाई गई है। जिसका प्रारम्भिक प्रकाशन जन साधारण के अवलोकनार्थ एवं आपत्ति व सुझाव आमंत्रित करने हेतु दैनिक उत्तर उजाला के अंक दिनांक १६-०१-२०२१ में कराया गया था। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् बोर्ड के प्रस्ताव संख्या १४६ दिनांक १८-०२-२०२१ द्वारा पारित किया गया हैं। ये उपविधियां उ० प्र० नगरंपालिका अधिनियम, १९१६ की धारा ३०१(२) के प्रयोजनार्थ राजकीय गजट में प्रकाशित की जाती है।

## उपविधियां

**परिभाषा**

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद जसपुर के ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियंत्रण उपविधि २०२०-२१ कहलायेगी तथा गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जाएगी।
2. नगर पालिका से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जसपुर जनपद ऊधम सिंह नगर से हैं।
3. अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम १९१६ (यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट संख्या—२, १९१६ तथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश में लागू है।
4. अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद जसपुर के अध्यक्ष से है।
5. अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जसपुर से है।
6. पंजीकरण से तात्पर्य नगर पालिका परिषद जसपुर द्वारा कराए गए जाने वाले निर्माण कार्यों के ठेकेदारों के पंजीकरण से है।
7. ठेकेदार का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पालिका परिषद जसपुर में सम्पूर्ण निर्माण कार्य जो संविदा के अंतर्गत आते है को करने का इच्छुक है।
8. श्रेणी का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम , द्वितीय , तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी से है।
9. उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली , का तात्पर्य उत्तराखंड अधिप्रासि नियमावली २०१७ एवं उसमें समय समय पर हुए संशोधनो से है।

**पंजीकरण की प्रकिया**

नगर पालिका के निर्माण कार्य के सम्पादन एवं सामग्री हेतु ठेकेदारों की चार श्रेणियां होगी। इच्छुक व्यक्ति निम्न श्रेणियां प्रथम , द्वितीय , तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में से किसी में भी निम्न औपचारिकताओं को पूर्ण करके अपना पंजीकरण करा सकता है।

1. वह भारत का नागरिक हो तथा उत्तराखंड राज्य में से कम से कम ५ वर्ष से निवास करता हो इसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य होगा।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा) निम्न प्रकार निर्धारित को जाती है।
   (क) – प्रथम श्रेणी के लिए – २०.०० लाख
   (ख) – द्वितीय श्रेणी के लिए – १५.०० लाख
   (ग) – तृतीय श्रेणी के लिए – १०.०० लाख
   (घ) – चतुर्थ श्रेणी के लिए – ५.०० लाख
3. **प्रथम श्रेणी** – प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग , ग्रामीण अभियंत्रण विभाग , नगर पालिका, नगर पंचायत , नगर निगम एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सडक, नाली एवं भवन निर्माण का ५ वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं चार वित्तीय वर्ष में एक करोड पच्चीस लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र जो ५ लाख से ऊपर हो देने अनिवार्य होगें जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत कार्यों का अनुभव इस पालिका का किसी भी श्रेणी का हो। अनुभव प्रमाण पत्र , अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया , सत्यापन के पश्चात मान्य होगा , व ई0पी0एफ0 में पंजीकरण।
4. **द्वितीय श्रेणी** – द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम ४ वर्ष कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र एवं चार वित्तीय वर्ष में १०० लाख के अनुबंध (बाण्ड) पत्र ४ लाख से ऊपर देने अनिवार्य होगें। जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत कार्यों का अनुभव इस पालिका का किसी भी श्रेणी का हो। अनुभव प्रमाण पत्र , अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया , सत्यापन के पश्चात् मान्य होगा व ई0पी0एफ0 में पंजीकरण।

५- तृतीय श्रेणी – तृतीय श्रेणी में पजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम चार वित्तीय वर्ष का ५० लाख तक कार्य किया गया हो , जिसमें कम से कम ५० प्रतिशत कार्य का अनुभव इस पालिका का किसी भी श्रेणी का हो , का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। सत्यापन के पश्चात् मान्य होगा।

६- चतुर्थ श्रेणी – चतुर्थ श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उत्तराखंड सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम तीन वर्ष का कार्य किया गया हो , का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा। सत्यापन के पश्चात मान्य होगा।

७- प्रत्येक ठेकेदार को आयकर व व्यापार कर व जी०एस०टी० विभाग से पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा पंजीकरण प्रार्थना पत्र के साथ उक्त विभाग के पंजीकरण का प्रमाण पत्र देना होगा तथा पंजीकरण नम्बर के अभिलेख की छायाप्रति देनी होगी।

८- **पंजीकरण व नवीनीकरण की अवधि-** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में १ अप्रेल से ३० अप्रेल तक ठेकेदारों के पंजीकरण व नवीनीकरण किये जा सकेगे, तत्पश्चात नही। पंजीकरण व नवीनीकरण के निर्धारित प्रार्थना पत्र के प्रारूप २००.०० प्रार्थना शुल्क (नान रिफण्डेबल) पालिका कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतू प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रारूप पर मान्य होगा तो अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। तत्पश्चात् ही पंजीकरण शुल्क एवं जमानत शुल्क जमा किया जायेगा। पंजीकरण पांच वर्ष व नवीनीकरण एक वर्ष के लिये होगा। पांच वर्ष पश्चात् पुनः पंजीकरण नये पंजीकरण की भांति होगा। नया/पुन पंजीकरण ३० अप्रेल के पश्चात नही होगा। जबकि नवीनीकरण रू० ५० प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के साथ किया जा सकता है।

९- **पंजीकरण शुल्क / नवीनीकरण शुल्क –**

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क नकद रूप में पालिका कोष में जमा करना होगा-

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम श्रेणी के लिए | २,५००.०० |
| (ख) | द्वितीय श्रेणी के लिए | २,०००.०० |
| (ग) | तृतीय श्रेणी के लिए | १,५००.०० |
| (घ) | चतुर्थ श्रेणी के लिए | १,०००.०० |

प्रत्येक एक वर्ष बाद पंजीकरण का नवीनीकरण होगा। नवीनीकरण करते समय हैसियत प्रमाण पत्र का शपथ पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, एवं निम्न प्रकार शुल्क जमा क रना होगा।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम श्रेणी के लिए | १२५०.०० |
| (ख) | द्वितीय श्रेणी के लिए | १०००.०० |
| (ग) | तृतीय श्रेणी के लिए | ७५०.०० |
| (घ) | चतुर्थ श्रेणी के लिए | ५००.०० |

१०- **जमानतें**

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा राष्ट्रीकृत बैंक की सावधि जमा रशीद (एफ डी आर) के रूप में अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बंधक कर प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा ।

| | | |
|---|---|---|
| (क) | प्रथम श्रेणी के लिए | २५,०००.०० |
| (ख) | द्वितीय श्रेणी के लिए | २०,०००.०० |
| (ग) | तृतीय श्रेणी के लिए | १५,०००.०० |
| (घ) | चतुर्थ श्रेणी के लिए | १०,०००.०० |

११- **निर्माण की संपादन की सीमा**

प्रत्येक श्रेणीके ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा।

(क) प्रथम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

(ख) द्वितीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ७.५० लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

(ग) तृतीय श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ५.०० लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

(घ) चतुर्थ श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार ३.५० लाख तक के निर्माण कार्यो के टेण्डर लेने के अधिकारी होगें।

**नगर पालिका जसपुर में पंजीकरण ठेकेदार को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।**

१- चरित्र प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष।

२- पेन नम्बर

३- GST प्रमाण पत्र

४- हैसियत प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त।

५- अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग से प्राप्त।

६- बैंक चालू खाता नम्बर, खातेदार का नाम व IFSC कोड

१३ निविदा प्रपत्र की लागत

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा-

| क्र.स. | कार्य की लागत | निविदा मूल्य में+GST |
|---|---|---|
| १ | १ लाख से ३ लाख तक | १५०-00+GST |
| २ | ३ लाख से ५ लाख तक | २५०-00+GST |
| ३ | ५ लाख से ७.५० लाख तक | ४००-00+GST |
| ४ | ७.५० लाख से १० लाख तक | ५००-00+GST |
| ५ | १० लाख से १५ लाख तक | ७५०-00+GST |
| ६ | १५ लाख से २० लाख तक | १०००-00+GST |
| ७ | २० लाख से २५ लाख तक | १२५०-00+GST |
| ८ | २५ लाख से ऊपर की निविदा ई टेन्डरिंग द्वारा ली जायेगी | १५००-00+GST |

१४ निविदा स्वीकार करने का अधिकार

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदा को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जसपुर का होगा परंतु किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार शासन द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक नगर पालिका परिषद जसपुर को होगा। इस दशा में पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा सकती है निविदा डालने के छः माह तक ठेकेदार उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

१५ धरोहर राशि-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्यूरमेंट नियम) में किए गए प्रावधान के अनुसार स्थाई जमानत धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र एवं एफडीआर अधिशासी अधिकारी के नाम बंधक होगा। ऐसी प्रतिभूति को जो पूर्व के कार्यो में जमा प्रतिभूति के रूप में हो को मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उन्हें बंधक मुक्त नहीं किया गया हो।

१६ ठेकेदार का भुगतान

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की दिनांक से अधिकतम एक माह में निर्धारित दरों के अनुसार आयकर जी०एस०टी०/ व्यापार कर एवं १० प्रतिशत जमानत की राशि काटने के उपरांत भुगतान किया जा सकेगा, जमानत राशि का भुगतान १ वर्ष अथवा अनुबंध में वर्णित अवधि के बाद संतोषजनक होने पर अवर अभियंता की संतुष्टि पर किया जा सकेगा।

१७ कार्य करने की अवधि

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह टेंडर फार्म में दी गई कार्य अवधि के अंतगर्त कार्य पूर्ण करें। यदि समय पर कार्य पूर्ण नही किया जाता है तो उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतू ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना पत्र दिया जायेगा। तत्पश्चात् अवर अभियंता व अधिशासी अधिकारी की संतुष्टि पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृत एक बार प्रदान की जा सकती है। यदि ऐसा न किया गया तो ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाई की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार १० प्रतिशत कटौती कर ली जाएगी। इसका उल्लेख अनुबंध में आवश्यक रूप से किया जाएगा।

१८ पंजीकरण निरस्तीकरण

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नही करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है या कार्य को किसी को सबलेट करता है तो ऐसी स्थिति में अवर अभियंता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को काली सूची में डाला जा सकता हैा पंजीकरण के निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य का भुगतान पालिका को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जाएगा इसका उल्लेख अनुबन्ध में किया जाएगा।

१९ कटोतिया:- ठेकेदार के बिलों से की जाने वाली कर व अन्य कटोतिया शासनादेश के अनुसार होगी।

२०- जमानत:- दस प्रतिशत जमानत धनराशि अन्तिम बिल भुगातान से पूर्व फिक्सड डिपोजिट के रूप में जमा करनी होगीं जो कार्य समाप्त होने के पश्चात शासनादेश में उल्लिखित शर्तो अथवा एक वर्ष के पश्चात अवर अभियन्ता की संतोषजनक आख्या पर की जायेगी।

२१- जमानत जब्त करने का अधिकार:-

यदि ठेकेदार नगर पालिका उपनियमों या ठेके की शर्तों, अनुबन्ध पत्र का उलंघन कर पालिका को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम १३ के विपरीत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवम् अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा यदि इसके बाद भी पलिका की क्षतिपूर्ति न हो सके तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू-राजस्व के बकाए की भाँति वसूल की जाएगी, इसका उल्लेख अनुबन्ध में भी किया जाएगा। जमानत जब्त होने पश्चात कार्य द्रितीय न्यूनतम निविदादाता को दिया जायेगा।

२२- अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी लो0नि0वि0 के अन्तिम शासनादेश के अनुसार होगा।

२३- कार्य पूर्ण करने की अवधि समय समय पर निर्धारित की जायेगी।

२४- अन्य यदि एक या अधिक निविदाओं की दरे समान आ जाती है तो उन निविदा दाताओं के लिखित निगोशियेशन से निर्धारित किया जायेगा।

२५- नगर पालिका परिषद जसपुर में श्रेणीवार ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु वाछिंत औपचारिकताये/अभिलेख।

| क्र | औपचारिकतायें | श्रेणी ए | श्रेणी बी |
|---|---|---|---|
| १ | पेन कार्ड की छायाप्रति | | |
| २ | जी0एस0टी0 पंजीयन की छायाप्रति | | |
| ३ | वैध चरित्र प्रमाण पत्र | | |
| ४ | वैध हैसियत प्रमाण पत्र | | |
| ५ | तकनीकी स्टाफ स्टाफ व ठेकेदार दोनों की ओर से शपथपत्र व तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र सहित | १ सिविलइंजीनियर डिप्लोमा धारक<br>२- सिविल इंजीनियर डिग्री धारक | सिविलइंजीनियर डिप्लोमा धारक |
| ६ | उपकरण संयत्र व मशीनरी उपलब्धता का शपथ पत्र | | |
| | १ Concrete Mixure 14/10 Cu f | 2 | 1 |
| | २ Vibrater (Surface) | 1 | 1 |
| | ३ Vibrater (PIN) | 1 | 1 |
| | ४Pump Diesel electrical 5HP | 1 | 1 |
| | ५Diesel Generateer set 7-5 KW | 1 | 1 |
| | ६ Tractor with Rtolly | 1 | 0 |
| | ७ Road Roller | 1 | 0 |
| | ८ Compressure | 1 | 1 |
| | ९ Drilling equpments | 1 | 1 |
| | १० hemmer | 1 | 1 |

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, जसपुर।

मुमताज बेगम,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, जसपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/109-भाग 8-2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।